[illegible]—632

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4
लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41
(लाइसेन्सड टु पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 27 सितम्बर, 1978
आश्विन 5, 1900 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
वन अनुभाग 3

संख्या 1018/14-3 95-1974
लखनऊ, 27 सितम्बर, 1978

अधिसूचना
प्रकीर्ण

सा० का० नि०—91

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 41, 42, 51 और 76 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या 672/चौदह-22, दिनांक 30 सितम्बर, 1918 और इस विषय पर समस्त अन्य आदेशों और अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करके राज्यपाल इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज के अभिवहन को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् —

उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978

[भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 41, 42, 51 और 76 के अधीन]

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन नियमावली, 1978 कही जायगी। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2—इस नियमावली में, "अधिनियम" का तात्पर्य भारतीय वन अधिनियम, 1927 से है। परिभाषा

अध्याय—एक

भू-मार्ग से इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन

पास द्वारा वन उपज के अभिवहन का विनियमन

३—किसी वन उपज का उत्तर प्रदेश राज्य में या से या के भीतर उसमें आगे दिये गये उपबन्ध के सिवाय इस नियमावली की अनुसूची 'क' में प्रपत्र में अभिवहन पास के बिना जो वन विभाग के किसी अधिकारी या—

इस नियमावली के द्वारा या अधीन ऐसा पास जारी करने के लिये सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति से प्राप्त किया जा सकेगा, या ऐसे पास की शर्तों से भिन्न प्रकार से या ऐसे पास में विनिर्दिष्ट मार्ग या गंतव्य स्थान से भिन्न मार्ग से या गंतव्य स्थान को स्थानान्तरण नहीं किया जायगा :—

परन्तु कोई अभिवहन पास—

(क) किसी वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा जिसे किसी व्यक्ति द्वारा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त दिये गये विशेषाधिकार का या अधिनियम के अधीन प्रयुक्त प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके उस ग्राम की सीमा में, जहाँ उसका उत्पादन किया जाय, वास्तविक उपयोग के लिये हटाया जा रहा हो,

(ख) वन विभाग द्वारा प्रबन्धित वन से ठेकेदार—अभिकरण द्वारा वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा, उस स्थिति में स्थानान्तरण का विनियमन विक्रय की सुसंगत शर्तों और क्रेता द्वारा निष्पादित तदनुरूप करार विलेख के निबन्धनों द्वारा किया जायगा ;

(ग) ऐसी वन उपज को हटाने के लिये अपेक्षित न होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट दे ।

अधिकारी और व्यक्ति जो पास जारी करेंगे ।

४—(१) निम्नलिखित अधिकारियों और व्यक्तियों को इस नियमावली के अधीन पास जारी करने की शक्ति होगी—

(क) उस वन उपज के लिये जो सरकार की हो या जिसका कोई व्यक्ति स्वामी न हो, अरण्यपाल, प्रभागीय वन अधिकारी, उप प्रभागीय वन अधिकारी या कोई अन्य अधिकारी जिसे अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस निमित्त प्राधिकार दिया गया हो ;

(ख) उस वन उपज के लिये जिसका कोई व्यक्ति स्वामी हो ऐसा व्यक्ति या उसका अभिकर्ता यदि उसे प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा लिखित रूप में इस प्रकार का प्राधिकार दिया गया हो :

परन्तु—

(एक) कोई व्यक्ति जो अभिवहन पास या उपनियम (१) के खण्ड (ख) के अधीन अभिवहन पास जारी करने के लिये प्राधिकार प्राप्त करना चाहता है, अनुसूची 'ख' के प्रपत्र में आवेदन करेगा और प्रभागीय वन अधिकारी अभिवहन पास जारी करने या ऐसा पास जारी करने के लिये प्राधिकार देने के पूर्व ऐसी जाँच करेगा और ऐसी सूचना माँगेगा जिसे आवश्यक समझा जाय,

(दो) ऐसे प्राधिकार में वह अवधि विनिर्दिष्ट होगी जिसमें प्राधिकार प्रवृत्त रहेगा और उसमें वह मार्ग जो अपनाया जायगा और जाँच चौकी या डिपो भी विनिर्दिष्ट किया जायगा जिससे होकर उपज को ले जाना आवश्यक होगा, और

(तीन) किसी प्राधिकार में किसी समय, प्रभागीय वन अधिकारी या अरण्यपाल द्वारा कोई परिवर्तन, (अनुरोध करने पर या स्वयमेव) किया जा सकता है या उसे निरस्त किया जा सकता है ।

(२) अभिवहन पास जारी करने के लिये या किसी व्यक्ति को अभिवहन पास जारी करने का प्राधिकार देने के लिये सक्षम अधिकारी अभिवहन पास जारी करने या जारी करने का प्राधिकार देने से इन्कार कर सकता है ।

(३) नियम ४(१) (ख) और ४ (२) के अधीन दिये गये आदेश के विरुद्ध अपील अगले उच्च प्राधिकारी को (यदि आदेश प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा दिया गया हो, तो अरण्यपाल को यदि आदेश अरण्यपाल द्वारा दिया गया हो तो मुख्य अरण्यपाल या अपर मुख्य अरण्यपाल को) की जायगी और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा ।

विभिन्न वर्ग के पास के लिये नैम चौक ।

५—नियम १५ के अधीन स्थापित और नियम ४ के उप नियम (१) के खण्ड (ख) के परन्तुक (दो) में अधीन विनिर्दिष्ट जाँच चौकी या डिपो पर वन उपज और पास की दो प्रतियां (द्वितीय और तृतीय प्रति) नियम ८ के उप नियम (४) के अधीन परीक्षण कीजिये और वन उपज पर

निम्नलिखित दर पर संबंधित अभिवहन पास फीस का भुगतान करने के लिये प्रस्तुत की जायगी। अनुसूची 'क' के लिये गये प्रपत्र में तदनुरूप संशोधन की जायगी :--

(एक) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी प्रति गाड़ी।	5 रुपया प्रति टन की दर से
(दो) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदी पशु चालित प्रति गाड़ी।	2 रुपया 50 पैसा
(तीन) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति ऊंट।	1 रुपया 25 पैसा
(चार) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति टट्टू।	0.50 पैसा
(पांच) इमारती लकड़ी या अन्य वन उपज से लदा प्रति सिर बोझ	0.25 पैसा

टिप्पणी--लीसा और लीसा उत्पाद के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्ध लागू होंगे।

6--(1) प्रत्येक अभिवहन पास अनुसूची 'क' में दिये गये प्रपत्र में होगा। पास में क्या होगा

(2) प्रत्येक पास का रंग और आकार और अभिवहन पास की प्रत्येक पुस्तिका के अग्रिम में दिये जाने वाला मूल्य ऐसा होगा जैसा मुख्य वन संरक्षक द्वारा विहित किया जाय।

(3)--(एक) ऐसा पास देवनागरी लिपि में हिन्दी में या उर्दू में होगा।

(दो) अभिवहन पास तीन प्रतियों में होगा और बनी हुई पुस्तिका के रूप में होगा जिसे प्रभागीय वन अधिकारी से प्राप्त किया जा सकेगा। प्रत्येक पुस्तिका में पास संख्या होगी और प्रत्येक पुस्तिका में पास संख्यांकित किया जायगा।

(4) तीन प्रतियों में पास के प्रारूप की प्रथम प्रति प्रतिपर्ण होगी और उसकी दूसरी और तीसरी प्रति अभिवहन को जाने वाली उपज के प्रभारी व्यक्ति को दिया जायगा, और वन कृषि किसी जांच अधिकारी द्वारा मांगने पर प्रस्तुत किया जायगा। तीसरा पास वन उपज को जांच करने वाले वन अधिकारी द्वारा रख लिया जायगा जो दूसरे पास पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर यह उल्लेखित करेगा कि उसने तीसरा भाग ले लिया है।

7--किसी अभिवहन पास के अन्तर्गत साधारणतया एक से अधिक बोझ नहीं होगा, चाहे ऐसा बोझ किसी व्यक्ति या पशु द्वारा या किसी गाड़ी में ले जाया जाय, किन्तु प्रभागीय वन अधिकारी, जब कभी उचित समझे, यह आदेश दे सकता है कि एक पास के अन्तर्गत एक ही स्थान से और एक ही स्थान को 25 किलोमीटर से अनधिक की दूरी एक ही समय में ले जाई गई मात्रा के लिये 50 से अनधिक सिर बोझ और 10 से अनधिक पशु चालित गाड़ी बोझ हो सकते हैं। प्रत्येक बोझ के लिये पृथक-पृथक पास।

8--किसी अभिवहन पास पर मुद्रित या लिखित किसी बात में जारी करने वाले के सिवाय कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा और यह परिवर्तन पास में उल्लिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से अभिवहन के पश्चात् प्रस्तुत किसी वन अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है। पास में परिवर्तन नहीं किया जायगा।

9--(1) जब प्रभागीय वन अधिकारी अभिवहन पास जारी करने के लिये नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता को प्राधिकार दे, तब वह ऐसे व्यक्ति को समय-समय पर सादे पास की संख्यांकित पुस्तिका देगा। सादे पास की पुस्तिका उन व्यक्तियों को दी जायेगी जिन्हें पास जारी करने का प्राधिकार हो

(2) उक्त व्यक्ति जिसको ऐसी पुस्तिका दी जाय, नियम 6 के उप नियम (2) के अधीन निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो, देगा। मूल्य के अतिरिक्त पास के अनुचित उपयोग की प्रतिभूति करने के लिये 50 रुपये की प्रतिभूति भी जमा की जायेगी।

(3) कोई भी व्यक्ति जिसे पास जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो, अपने प्राधिकार की शर्तों से भिन्न प्रकार से अभिवहन पास जारी नहीं करेगा।

(4) ऐसा व्यक्ति जारी किये गये किसी अभिवहन पास के लिये कोई फीस नहीं लेगा।

10--समस्त प्रयुक्त अभिवहन पास के प्रतिपर्ण उस अधिकारी को [illegible] जिससे पास पुस्तिका प्राप्त हुई थी, वापस कर दिये जायेंगे। ऐसा करने में विफल होने पर नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन जमा की गई प्रतिभूति को समपहृत किया जा सकता है। कोई नया पास और कोई अभिवहन पुस्तिका तब तक नहीं दी जायेगी, जब तक कि पहली से प्रयुक्त समस्त पास के प्रतिपर्ण वापस न कर दिये गये हों या प्रतिपर्ण वापस न करने के कारण सिद्ध न कर दिये गये हों। प्रयुक्त अभिवहन पास का प्रतिपर्ण वापस किया जाना।

11--कोई व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता जिसे नियम 4 के उप नियम (1) के खंड (ख) के अधीन अभिवहन पास जारी करने का प्राधिकार दिया गया हो ऐसे समस्त पास के प्रतिपर्ण को, या ऐसे व्यक्ति या अभिकर्ता द्वारा जारी किये गये हों, समय-समय पर प्रस्तुत किसी वन अधिकारी द्वारा परीक्षा करने पर, निरीक्षण करने के लिये प्रस्तुत करेगा या उन्हें वापस करने के लिये बाध्य होगा। वापसी पर प्रतिपर्ण निरीक्षण के लिये प्रस्तुत किया जायेगा।

पास जारी करने का अधिकार रद्द करने या समाप्त होने पर प्रक्रिया।

12—नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिये गये किसी अधिकार को उक्त खण्ड के अधीन किसी समय रद्द किये जाने की दशा में या ऐसे अधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर ऐसा व्यक्ति जिसका अधिकार इस प्रकार रद्द किया जाय या ऐसा व्यक्ति जिसे अधिकार की अवधि इस प्रकार समाप्त हो जाय, जैसी भी स्थिति हो, उस अधिकारी को जिसने अधिकार प्रदान किया हो, अभिवहन पास की सभी अप्रयुक्त पुस्तिका और ऐसी किसी पुस्तिका के अप्रयुक्त भाग जो उसके पास हो, तथा प्रयुक्त पास के प्रतिपर्णों को यदि कोई हो, जिसे उसने पहले वापस न किया हो तुरन्त वापस करेगा और तदुपरान्त उक्त व्यक्ति अभिवहन पास की ऐसी प्रत्येक अप्रयुक्त पुस्तिका के सम्बन्ध में संदत्त धनराशि वापस पाने का हकदार होगा किन्तु किसी प्रयुक्त पुस्तिका के संबंध में कोई धनराशि वापस करने की अनुमति नहीं दी जायगी।

प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये अभिवहन पास कब अविधिमान्य होंगे।

13—अभिवहन पास जारी करने के लिये नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता द्वारा जारी किया गया कोई अभिवहन पास विधिमान्य न होगा, यदि—

(क) ऐसा पास नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन इस प्रयोजन के लिये दिये गये प्रपत्र में तैयार न किया जाय; या

(ख) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसा पास जारी करने के अधिकार को रद्द करने का आदेश प्राप्त होने के पश्चात् जारी किया जाय; या

(ग) पास ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे पास को जारी करने के लिये दिये गये अधिकार में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी किया जाय।

इमारती लकड़ी पर सम्पत्ति संबंधी और अभिवहन चिन्ह का लगाया जाना।

14—उस स्थिति के सिवाय जब वह सरकारी सम्पत्ति हो, विनिर्दिष्ट जांच चौकी या डिपो पर लायी गयी समस्त इमारती लकड़ी का परीक्षण किया जायगा और उस पर सरकारी हथौड़े से चिन्ह (जिसकी अनुकृति से सम्बन्धित पास पर मुद्रित होगी) लगाया जायगा। हथौड़े से लगाये जाने वाले ऐसे चिन्ह डिजाइन समय-समय पर अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा विहित की जायगी। इसके अतिरिक्त, यदि अरण्यपाल या प्रभागीय वनाधिकारी ऐसा निदेश दें तो ऐसे प्रकार की इमारती लकड़ी पर, जो व्यक्ति के अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत की गयी हो, स्वामी का मुद्रित निजी सम्पत्ति चिन्ह भी लगाया जायेगा।

डिपो और उसका प्रयोजन।

15—अरण्यपाल ऐसे स्थान पर जिसे वह उचित समझे, डिपो स्थापित कर सकता है जहां पर वन उपज—

(क) तदुपरान्त से हटाये जाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक परीक्षण या अनुवर्ती जांच करने के लिये; या

(ख) राज्य सरकार को उसके निमित्त देय धनराशि का अवधारण करने और इस प्रकार देय पायी गयी किसी धनराशि का भुगतान करने के लिये; या

(ग) इस उद्देश्य से कि यदि विधि द्वारा या इस नियमावली द्वारा उस पर कोई चिन्ह लगाया जाना अपेक्षित हो, तो उसको इस प्रकार लगाया जा सके;

डिपो की स्थिति का प्रकाशित किया जाना।

16—अरण्यपाल समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा और स्थानीय तौर पर ऐसी रीति से, जिसे वह उचित समझे अपने वृत्त में ऐसे डिपो का नाम और उसकी स्थिति की जानकारी करायेगा।

डिपो किसी अधिकारी के प्रभार में होगा।

17—प्रत्येक डिपो अरण्यपाल या प्रभागीय वन अधिकारी के आदेश के द्वारा या अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के प्रभार में होगा। किसी वन उपज का डिपो के प्रभारी अधिकारी की अनुज्ञा के बिना डिपो में न तो संग्रह किया जायगा और न वहां से हटाया जायगा।

सम्पत्ति चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण।

18—(1) कोई व्यक्ति अपनी इमारती लकड़ी पर लगाये जाने वाले सम्पत्ति चिन्ह का उस प्रभाग के, जहां से वह इस नियमावली के अधीन अपनी इमारती लकड़ी को निकालना चाहता है प्रभागीय वन अधिकारी के कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये प्रभागीय वन अधिकारी को आवेदन कर सकता है।

(2) प्रत्येक सम्पत्ति चिन्ह में ऐसी युक्ति होगी जिसे प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा उसके प्रभाग के लिये अनुमोदित किया जायगा, परन्तु किसी व्यक्ति को ऐसे चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति नहीं दी जायगी जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से रजिस्ट्रीकृत या राज्य सरकार द्वारा प्रयुक्त चिन्ह के समान हो या जिससे ऐसा चिन्ह होने का भ्रम हो सके। यह विवाद होने की स्थिति में कि रजिस्ट्रीकरण के लिये प्रस्तावित चिन्ह का पहले से ही रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सम्पत्ति चिन्ह से बहुत अधिक सदृश्य है या नहीं, अरण्यपाल का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये दस रुपये की फीस ली जायगी। फीस के भुगतान के सम्बन्ध में एक रसीद अनुसूची 'ग' में दिये गये प्रपत्र में दी जायगी।

रजिस्ट्रीकरण की फीस धारा-41 (2) (ठ)।

(4) प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जो अपना चिन्ह रजिस्ट्रीकृत कराये, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायगा जिसमें पुष्टि का उल्लेख होगा। रजिस्ट्रीकरण आगामी 30 सितम्बर तक विधिमान्य रहेगा।

19—प्रभागीय वन अधिकारी की लिखित विशेष अनुज्ञा के सिवाय किसी वन उपज का परिवहन सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच नहीं किया जायगा। इस प्रकार अनुज्ञात परिवहन के लिये नियम 5 में विहित दर से दुगुनी दर पर फीस ली जायगी।

वन उपज को दिन में हटाया जायगा।

20—उत्तर प्रदेश राज्य में आयातित समस्त वन उपज के सम्बन्ध में इस नियमावली के अतिरिक्त, भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या 16, 1927) की धारा 40-क के अधीन संघ सरकार द्वारा बनाये गये नियमों का अनुसरण किया जायगा और वे नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत होंगे और इमारती लकड़ी की स्थिति में उन पर नियम 23 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी सम्पत्ति चिन्ह होगा।

विदेशी पास।

21—प्रत्येक विदेशी पास ऐसे प्रपत्र में सम्यक होना चाहिये जो उस सर्किल के, जिस में विदेशी पास के अधीन वन उपज आयात किया जाता हो, अरण्यपाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो और उस पर ऐसे पासधारी का हस्ताक्षर होगा जिसका पदनाम उक्त अरण्यपाल के कार्यालय में रजिस्ट्रीकृत हो और प्रत्येक विदेशी सम्पत्ति चिन्ह उस प्रकार का होना चाहिये जो उक्त कार्यालय में नियम 23 के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो। सम्बद्ध सर्किल के अरण्यपाल के कार्यालय में विदेशी पास का रजिस्ट्रीकरण कराने के लिये आवेदन करते समय सम्बद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में आयातित वन उपज का निर्यात करने पर कोई आपत्ति नहीं है और सम्बद्ध पक्ष ने सक्षम प्राधिकारी को उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क या अन्य शुल्क का, यदि कोई हो, भुगतान कर दिया है:

परन्तु पड़ोसी राज्य सरकारों के अनुरोध पर ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा जिनके हस्ताक्षर, उस प्रभागीय वन अधिकारी के जिसके प्रभाग से उपज को ले जाया जाय, कार्यालय में सम्यक रूप से रजिस्ट्रीकृत हैं, हस्ताक्षरित पास की अनुमति दी जा सकती है:

परन्तु यह और कि ऐसे ठेकेदारों या उनके प्राधिकृत अभिकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त पास पर उस अधिकारी की शासकीय मुहर लगी होनी चाहिये जिसे राज्य सरकार ने ठेकेदारों को पास पुस्तिका जारी करने के लिये प्राधिकार दिया हो।

विदेशी पास प्रपत्र आदि का रजिस्ट्रीकरण अरण्यपाल के कार्यालय में अवश्य होना चाहिये।

22—उत्तर प्रदेश राज्य में आयातित किसी वन उपज का परिवहन नियम 4 के अधीन जारी किये गये पास के बिना उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा के भीतर नियम 15 के अधीन स्थापित निकटतम प्रथम डिपो तक किया जा सकता है यदि वह नियम 21 के अधीन रजिस्ट्रीकृत विदेशी पास के अन्तर्गत आता हो और यदि ऐसी सीमा और ऐसे डिपो के बीच किसी स्थान पर उसका ढेर लगाया गया हो या उसे जमा किया गया हो तो विदेशी पास जिसके अन्तर्गत पदार्थ आता हो उस डिपो पर तुरन्त दे दिया जायगा।

आयातित वन उपज का परिवहन नियम 4 के अधीन पास के बिना प्रथम डिपो तक किया जा सकता है।

23—अरण्यपाल नियम 21 के अधीन किसी विदेशी प्रपत्र या चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उसकी प्रामाणिकता के सम्बन्ध में जांच कर सकता है और यदि उसे कोई आपत्ति न हो तो वह आवेदक द्वारा एक सौ रुपये देने पर अपने कार्यालय में ऐसे प्रपत्र या चिन्ह का रजिस्ट्रीकरण करेगा। ऐसा प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से रजिस्ट्रीकरण वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर तक लागू रहेगा सिवाय विदेशी सरकारों के प्रपत्रों और चिन्हों की स्थिति में जिनका रजिस्ट्रीकरण तब तक लागू रहेगा जब तक कि उसका उपान्तर या निरसन नये प्रपत्रों या चिन्हों द्वारा न कर दिया जाय।

विदेशी पास के प्रपत्रों या विदेशी सम्पत्ति चिन्हों का रजिस्ट्रीकरण

24—ऐसे वन अधिकारी से जिसका कर्तव्य ऐसे चिन्हों का उपयोग करना है, भिन्न कोई व्यक्ति इमारती लकड़ी के लिये ऐसे किसी सम्पत्ति चिन्ह का उपयोग नहीं करेगा जो किसी सरकारी अभिलक्षण चिन्ह या ऐसे किसी चिन्ह के जिससे सरकारी इमारती लकड़ी चिन्हित की जाय, समान हो या लगभग उसके सदृश हो, और जब कोई इमारती लकड़ी नियम 4 के उप नियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति के अभिकर्ता के द्वारा जारी किये गये पास से अभिवहन में हो, तब कोई व्यक्ति उस पर किसी चिन्ह में न तो परिवर्तन करेगा और न उसे मिटायेगा।

सरकारी चिन्ह की न तो अनुकृति की जायगी और न उसे मिटाया जायगा।

25—(1) अभिवहन में किसी वन उपज को जिस पर यह नियमावली लागू होती है और ऐसी वन-उपज को ले जाने वाले किसी व्यक्ति, पशु, गाड़ी, जलयान या यान को, यथास्थिति, राज्य सरकार के किसी वन, पुलिस या राजस्व अधिकारी द्वारा, जो वन रक्षक, पुलिस सब-इन्सपेक्टर या कानूनगो के पद से निम्न पद का न हो, किसी स्थान पर रोका जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है, उसका परीक्षण किया जा सकता है और उसकी जांच की जा सकती है यदि ऐसे अधिकारी को यह संदेह करने का युक्तियुक्त आधार हो कि उसके सम्बन्ध में सरकार को देय किसी धनराशि का भुगतान नहीं किया गया है या उसके सम्बन्ध में कोई वन अपराध किया गया है या किया जा रहा है:

कतिपय अधिकारी द्वारा अभिवहन में के वन उपज को रोका जा सकता है और उसका परीक्षण किया जा सकता है।

परन्तु ऐसा कोई अधिकारी परीक्षण करने के प्रयोजनार्थ अंश काटने के सिवाय [illegible] रूप से ऐसी किसी वन उपज को, जो विधि पूर्वक अभिग्रहण में हो, न तो विकृत करेगा और [illegible] करने के लिये या परावृत्तक रूप से किसी ऐसी वन उपज को उत्पादित और [illegible]

(२) ऐसा वन उपज का प्रभारी व्यक्ति वन-उपज के संबंध में किसी ऐसे अधिकारी [illegible] अपेक्षित अभिलेख उसको प्रस्तुत करेगा, और यदि वे अभिग्रहण पत्र के [illegible] रहा हो तो वह निरीक्षण के लिये पूछने पर ऐसे पास को ऐसे अधिकारी को प्रस्तुत करेगा और ऐसे अधिकारी द्वारा उक्त वन उपज को रोकने या उसका परीक्षण करने में किसी भी प्रकार से [illegible] या प्रतिरोध नहीं करेगा।

इमारती लकड़ी के परिवर्तन का प्रतिषेध।

१९— वन विभाग के प्रभार में किसी आरक्षित, संरक्षित या ग्रामीण वन की सीमा से [illegible] और—

(एक) ऐसी सीमा से पांच किलोमीटर के भीतर कोई व्यक्ति रेंज वन अधिकारी के पद से अनिम्न वन अधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना इमारती लकड़ी को काटने, संपरिवर्तित करने या चीरने या लकड़ी का कोयला बनाने के लिये [illegible] के लिये प्रयुक्त नहीं करायेगा; और—

(दो) ऐसी सीमा से दस किलोमीटर के भीतर कोई व्यक्ति प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी वन अधिकारी की लिखित पूर्व स्वीकृति के बिना जो ऐसी अनुज्ञा ऐसे शर्तों पर जो सरकार के हित की रक्षा के लिये उपयुक्त रूप से आरोपित कर सकता है, इमारती लकड़ी को काटने, संपरिवर्तित करने और चीरने के लिये कोई मशीनरी या [illegible] स्थापित नहीं करायेगा;

(तीन) खण्ड (दो) के अधीन निर्दिष्ट प्रकार और सीमा के भीतर पहले से ही स्थापित मशीनरी या आरा मिल की स्थिति में, स्वामी को प्रभागीय वन अधिकारी के पद से अनिम्न किसी वन अधिकारी की लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी जो [illegible] ऐसे शर्तों पर सरकार के हित की रक्षा के लिये उपयुक्त शर्तें आरोपित कर सकता है।

स्पष्टीकरण—यह नियम घरेलू बढ़ईगीरी या [illegible] के सामान्य अभ्यास पर लागू नहीं होगा।

स्थानीय क्षेत्रों को प्रकाशित किया जाये जिन पर नियमावली लागू नहीं होगी।

२०— राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसी अधिसूचना में [illegible] किसी स्थानीय क्षेत्र को इस नियमावली के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

नियमों के उल्लंघन के लिये शास्ति।

२१—(१) कोई व्यक्ति जो इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है, ऐसे अपराध के लिये कारावास से जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो [illegible] रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(२) उन मामलों में जिनमें अपराध दोषसिद्धि के पश्चात और दोषसिद्धि से पूर्व [illegible] अधिकारी का अभिरोध करने के लिये तैयारी करने के पश्चात किया गया है वहां [illegible] उसी प्रकार के अपराध के लिये पहले दोषसिद्ध हो चुका है वहां आरोपित की जाने वाली [illegible] उपनियम (१) में उल्लिखित शास्ति से दुगनी होगी।

अध्याय—दो

जल मार्ग द्वारा इमारती लकड़ी और अन्य वन उपज का अभिवहन

बिना पास के इमारती लकड़ी का बेड़ा बनाने और प्रवाहित करने पर निर्बन्धन धारा ४१ (२) (क)

२२—(१) कोई व्यक्ति उस वन प्रभाग में, जिसमें कोई नदी हो, प्रभारी वन अधिकारी या ऐसे अधीनस्थ अधिकारी से जिसे उस प्रभाग का प्रभारी अधिकारी इस निमित्त प्राधिकृत करे, अभिवहन अभिवहन पास प्राप्त किये बिना किसी नदी में किसी इमारती लकड़ी का [illegible] बनायेगा और न उसको उसमें प्रवाहित करेगा। कोई व्यक्ति ऐसे पास के आधार पर जो [illegible] से नहीं है किन्तु जो किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है या झूठा बताया जाता है इमारती लकड़ी [illegible] बेड़ा बनाने या उसको प्रवाहित करने का हकदार नहीं होगा।

(२) उपनियम (१) में निर्दिष्ट अभिवहन पास [illegible] किसी [illegible] रूप में होगा और इस नियमावली की अनुसूची "क" में दिये गये प्रपत्र में होगा और [illegible] अधिकारी द्वारा प्रपत्र रूप से हस्ताक्षर किया जायगा और मुहर लगाई जायेगी।

पास कहां से प्राप्त किया जाय का निर्देश धारा ४१ (२) (ग)।

२३— कोई पास किसी अभिवहन इमारती लकड़ी के लिये या अन्य इमारती लकड़ी [illegible] जहां नदी किनारे जहां [illegible] हो और [illegible] है जैसा कि [illegible] की गई है।

31—(1) [illegible] इमारती लकड़ी [illegible] प्रकाशित करने के लिये निदेश [illegible] जारी करने के लिये इमारती लकड़ी के [illegible] के लिये निम्नलिखित दर पर फीस [illegible] की जा सकती है :—

इमारती लकड़ी [illegible] लम्बाई [illegible] मीटर में	प्रति [illegible] पर फीस
एक मीटर तक	50 पैसा
एक मीटर से अधिक और दो मीटर तक	1 रुपया
दो मीटर से अधिक और तीन मीटर तक	1 रुपया 50 पैसा
तीन मीटर से अधिक	2 रुपया

(2) फीस का भुगतान करने के संबंध में इस नियमावली की अनुसूची 'क' में दिये गये प्रपत्र में एक [illegible] दी जायगी।

32—कोई व्यक्ति जिसने अपनी इमारती लकड़ी को किसी नदी में डाला है या बहाया है—

(क) [illegible] नियन्त्रण हो, प्रभारी वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा बिना,

(ख) ऐसे स्थानों के सिवाय, जिन्हें ऐसा अधिकारी [illegible] अधिसूचित करे, उसका संग्रह नहीं करेगा।

33—(1) [illegible] अधिकारी [illegible] पुलिस अधिकारी, [illegible] इमारती लकड़ी [illegible] किसी व्यक्ति [illegible] कर सकता है।

(2) ऐसी इमारती लकड़ी के संबंध में [illegible]

34—किसी व्यक्ति को, कोई इमारती लकड़ी, [illegible] करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी [illegible] हो जाय।

35—(1) प्रत्येक व्यक्ति [illegible] इमारती लकड़ी को [illegible] प्रवाहित करना चाहे [illegible] चिह्न या चिह्नों का रजिस्ट्रीकरण करायेगा जिनमें ऐसी इमारती लकड़ी के सम्बन्ध में उसका [illegible] अधिकार प्रकट हो।

(2) किसी व्यक्ति को ऐसे चिह्न का, जो कि [illegible] अन्य व्यक्ति के [illegible] रजिस्ट्रीकृत हो या सरकार द्वारा प्रयुक्त किसी चिह्न का रजिस्ट्रीकरण कराने की अनुमति नहीं दी जायगी।

(3) [illegible] अधिकारी ऐसे किसी चिह्न का रजिस्ट्रीकरण करने से इन्कार कर सकता है [illegible] सरकार द्वारा प्रयुक्त चिह्न या किसी अन्य व्यक्ति [illegible] रजिस्ट्रीकृत चिह्न से [illegible] सरकारी या रजिस्ट्रीकृत चिह्न में [illegible] परिवर्तित करने की [illegible] हो।

36—(1) प्रत्येक चिह्न के रजिस्ट्रीकरण के लिये [illegible] रजिस्ट्रीकरण फीस देय होगी।

(2) फीस का भुगतान करने के सम्बन्ध में इस नियमावली की अनुसूची 'क' में दिये गये प्रपत्र में एक रसीद दी जायगी।

37—[illegible] रजिस्ट्रीकृत चिह्न [illegible] रजिस्ट्रीकरण के [illegible] के [illegible] की अवधि के लिये विधिमान्य होगा।

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र। 38—रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चिन्ह के रजिस्ट्रीकरण के सम्बन्ध में एक प्रमाण-पत्र देगा जिसमें रजिस्ट्रीकृत चिन्ह, रजिस्ट्रीकरण का दिनांक और अवधि के लिये वह विधिमान्य रहेगा, विनिर्दिष्ट की जायगी।

घोषित क्षेत्रों में कतिपय कार्यों का प्रतिषेध धारा 41 (2) (ज) 39—(1) किसी ऐसे क्षेत्र की सीमा में जो धारा 45 के अधीन इस प्रकार घोषित की जाय, वन अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के सिवाय इमारती लकड़ी को स्थानान्तरित करना, संपरिवर्तन करना, काटना, जलाना, छिपाना या चिन्ह लगाना उस पर लगे किसी चिन्ह को बदलना या मिटाना और चिन्ह लगाने वाले हथौड़े या इमारती लकड़ी को चिन्हित करने के लिये प्रयुक्त अन्य उपकरणों को कब्जे में रखना या साथ ले जाना प्रतिषिद्ध होगा।

(2) यदि उप नियम (1) में निर्दिष्ट अनुज्ञा दी जाय तो उसमें वह स्थान विनिर्दिष्ट किया जायगा, या जहां पर वह प्रभावी होगी और उसमें, यथास्थिति, इमारती लकड़ी के पूर्व निरीक्षण या अन्य बात के संबंध में अन्य शर्तें दी जा सकती हैं।

शास्ति धारा 42 40—(1) कोई व्यक्ति जो इस अध्याय में दिये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, किसी एक प्रकार की कारावास की ऐसी अवधि के लिये जो एक वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

(2) द्वितीय या अनुवर्ती अपराध की स्थिति में या ऐसी स्थिति में, जहां अपराध सूर्यास्त के पश्चात या सूर्योदय के पूर्व या विधिपूर्ण प्राधिकारी का प्रतिरोध करने के लिये तैयारी करने के पश्चात किया जाता है, वहां ऐसी शास्ति दी जा सकती है जो उप नियम (1) में उल्लिखित शास्ति से दुगनी हो।

अध्याय-तीन

बहती हुई और अटकी हुई इमारती लकड़ी का संग्रह

क्षेत्रों की घोषणा धारा-45 41—भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 45 के प्रयोजनार्थ क्षेत्र निम्नलिखित होगा—

(1) सम्पूर्ण जौनसार बावर परगना।

(2) मेरठ सिविल डिवीजन की सीमा में, जिसमें यमुना नदी की धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य-क्षेत्र में यमुना और उसकी सहायक नदियां।

(3) मेरठ जिले में गढ़मुक्तेश्वर से ऊपर की ओर जिसमें गंगा नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में राम गंगा और उसकी सहायक नदियां।

(4) नगीना-अफजलगढ़ मार्ग से ऊपर की ओर जिसमें रामगंगा नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मान कर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य-क्षेत्र में रामगंगा और उसकी सहायक नदियां।

(5) बहरामघाट के रेलवे पुल के ऊपर की ओर जिसमें शारदा (काली) नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे आठ किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में शारदा (काली) और उसकी सहायक नदियां।

(6) गोरखपुर जिले की सीमा में जिसमें गंडक नदी की मुख्य धारा के उसके शीतकालीन जल स्तर की धारा को मानकर दोनों तट से सीधे पांच किलोमीटर की दूरी के भीतर का क्षेत्र सम्मिलित है, भारतीय राज्य क्षेत्र में गंडक और उसकी सहायक नदियां।

अधिग्रहण आदि पर निबर्धन धारा-45 (2 और 51) 43—कोई व्यक्ति, जब तक कि ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका क्षेत्राधिकार वहां पर विस्तृत हो, लिखित रूप में विशेषतः प्राधिकृत न किया जाय, इस नियमावली के नियम 41 में उल्लिखित उपर्युक्त क्षेत्रों में अचिन्हित जलाऊ टुकड़े से भिन्न किसी भी प्रकार का काष्ठ या इमारती लकड़ी लम्बाई में 180 सेन्टीमीटर और परिधि (घेरा) में 60 सेन्टीमीटर से अधिक न हो, अधिग्रहण नहीं करेगा।

43—(1) वन अधिकारी भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41 के अधीन और इन नियमावली के अनुसार [illegible] चिह्न वाली ऐसी समस्त इमारती लकड़ी [illegible] का उद्धरण या संग्रह करने [illegible] अधिकारी [illegible] किसी अन्य [illegible] में परिवहन कर सकता है। — पंजीकृत चिह्न से चिह्नित इमारती लकड़ी का उद्धरण और संग्रह करने की अनुज्ञा धारा 45 (2) और 51।

(2) वन अधिकारी या नियमावली के अधीन उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा इस प्रकार संग्रह की गई इमारती लकड़ी [illegible] स्वामी या स्वामियों [illegible] वन अधिकारी द्वारा [illegible] निश्चित किया जाय, दे दी जायगी।

44—वन अधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप में प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी इमारती लकड़ी का, जिस पर ऐसे चिह्न लगे हैं जो इस नियमावली के अधीन पंजीकृत नहीं हैं या जिस पर चिह्न [illegible] द्वारा या अन्यथा [illegible] हैं और बहती हुई इमारती लकड़ी का [illegible] कोई चिह्न नहीं लगे हैं, उद्धरण और संग्रह कर सकता है। — अपंजीकृत चिह्न से चिह्नित इमारती लकड़ी का उद्धरण और संग्रह करने की अनुज्ञा धारा 45 (2) और 51।

45—(1) ऐसी कोई इमारती लकड़ी [illegible] भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 45 के अधीन [illegible] में [illegible] है, तब तक परिवहन नहीं की जायगी [illegible] वन अधिकारी [illegible] द्वारा निश्चित किया जाय [illegible] इमारती लकड़ी के उद्धरण में हुआ [illegible] दिया हो। — इमारती की इमारती लकड़ी का परिदान करने की शर्त धारा 45 (2) और 51।

(2) यदि [illegible] अधिकारी से [illegible] दिन के भीतर उसका भुगतान करने में विफल रहता है [illegible] इमारती लकड़ी [illegible] की जायगी।

(3) इस नियमावली के अधीन [illegible] इमारती लकड़ी का, [illegible] उक्त अधिनियम की धारा [illegible] के अधीन [illegible] किया जा सकता है।

46—वन अधिकारी ऐसे समस्त [illegible] हुई इमारती लकड़ी को जिस पर कोई चिह्न न लगा हो, किसी भी समय उस स्थान पर जहाँ वह [illegible] हुई हो, बेच सकता है [illegible] इमारती लकड़ी को संग्रह या [illegible] करने के अधिकार [illegible] सकता है [illegible] न हो। — बहती हुई काष्ठ या इमारती लकड़ी बेचने की शक्ति धारा 51 (1) (क)

47—(1) ऐसी समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर, जो [illegible] के अधीन वन विभाग द्वारा बेचा जाय, विभागीय विक्रय चिह्न लगाया जायगा। — विक्रीत इमारती लकड़ी को चिह्नित किया जाना 52 (1) (क)

(2) ऐसी समस्त काष्ठ या इमारती लकड़ी पर, जब उसका नियम 43 (1) के अधीन [illegible] कर दिया जाय, उपयुक्त मुद्रित चिह्न लगाया जायगा। नियम [illegible] के अधीन [illegible] काष्ठ या इमारती लकड़ी को [illegible] के लिये [illegible] द्वारा [illegible] एक मुद्रित और [illegible] काष्ठ और इमारती लकड़ी [illegible] विनिर्दिष्ट हों।

48—कोई व्यक्ति जो इस अध्याय के [illegible] का उल्लंघन करता है, ऐसी [illegible] के लिये [illegible] हो सकता है या जुर्माने से [illegible] हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा। — इस अध्याय के अधीन शास्ति धारा 51 (2)

साधारण

49—इस नियमावली के प्रवृत्त होने पर, [illegible] समस्त नियम, जो इस नियमावली के [illegible] उत्तर प्रदेश [illegible] के किसी [illegible], निरसित हो जायेंगे। — निरसन और व्यावृत्ति

परन्तु इस प्रकार निरसित किसी नियम के अधीन [illegible] किसी कार्य या कार्यवाही [illegible] इस नियमावली के [illegible] के अधीन [illegible] समझी जायगी।

आज्ञा से,
एस० पी० त्रिपाठी,
सचिव।

अनुसूची 'क'

प्रपत्र

(नियम 3 देखिये)

प्रतिपर्ण

पुस्तक संख्या	अभिवहन पास	पृष्ठ संख्या
(1)	(2)	(3)

1—वन उपज की उत्पत्ति का उद्गम स्थान—

(क) वन का नाम और स्थिति

(ख) वन स्वामी का नाम

2—वन उपज के स्वामी का नाम और पता

3—उपज का विवरण और परिमाण

4—सम्पत्ति चिन्ह आदि

5—ग्राम/नगर का नाम, जहाँ उपज का परिवहन किया जायगा

6—मार्ग जिससे उपज का परिवहन किया जायगा

7—डिपो जहाँ पर जाँच के लिए वन उपज प्रस्तुत की जायगी

8—पास की समाप्ति का दिनांक

9—कोई अन्य ब्योरा

10—निर्गमन अधिकारी का हस्ताक्षर, मुहर और दिनांक

11—जाँच अधिकारी का हस्ताक्षर

अनुसूची 'ख'

आवेदन-पत्र का प्रपत्र

1—नाम

2—पिता का नाम

3—पूरा पता

4—भूमि का ब्योरा जहाँ से उपज लाई जायगी। (उसका क्षेत्रफल दीजिये) यदि किसी खेत से लायी जाय तो उसका खसरा संख्या दीजिये और खसरा-खतौनी का सुसंगत उद्धरण संलग्न कीजिए।

5—वृक्षों का ब्योरा जिनकी उपज को लाये जाने का प्रस्ताव है:—

प्रजाति	वृक्षों की संख्या	वर्गवार व्यास (छाती की ऊंचाई पर व्यास)				
		0-10 सेन्टी मी0	10-20 सेन्टी मी0	20-30 सेन्टी मी0	30-40 सेन्टी मी0	40-50 सेन्टीमीटर

6—वृक्षों को गिराने और हटाने की अनुज्ञा का ब्योरा, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1976) के अधीन अपेक्षित कोई अनुज्ञा भी सम्मिलित है।

7—गन्तव्य स्थान जहाँ उपज ले जाने का प्रस्ताव हो।

आवेदक का हस्ताक्षर

दिनांक।

produce along with the two copies of the pass (duplicate and triplicate) shall be produced for examination under sub rule (4) of rule 6 and for payment of transit fee on the forest produce calculated at the following rates; corresponding receipt shall be granted in the Form given in Schedule C		along with the two copies of the pass (duplicate and triplicate) shall be produced for examination under sub rule (4) of rule 6 and for payment of transit fee on the forest produce calculated at the following rates; corresponding receipt shall be granted in the Form given in Schedule C.	
(i) per lorry load of timber or other forest produce	Rs. 5.00 per tonne of capacity	(i) per lorry load of timber or other forest produce	Rs. 38.00 per tonne of capacity
(ii) per cart load of timber or other forest produce	Rs. 2.50	(ii) per cart load of timber or other forest produce	Rs 19.00
(iii) Per camel load of timber or other forest produce	Rs. 1.25	(iii) Per camel load of timber or other forest produce	Rs. 9.00
(iv) per pony load of timber or other forest produce	Rs. 0.50	(iv) per pony load of timber or other forest produce	Rs. 4.00
(v) per head load of timber or other forest produce	Rs. 0.25	v) per head load of timber or other forest produce	Rs. 2.00
Note:- In respect of resin and resin products, the provisions of the Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976 and the rules framed thereunder, shall apply.		Note:-In respect of resin and resin products, the provisions of the Uttar Pradesh Resin and other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976 and the rules framed thereunder, shall apply	

Amendment of rule 18 — 3. In the said rules for the existing rule 18 set out in column 1 below the rules as set out in column-2 shall be

substituted, namely:-

Column-1 Existing rules	Column-2 Rules as hereby substituted
18-Registration of property marks (1). Any person may apply to the Divisional Forest Officer to have property mark to be attached to timber belonging to him, registered in the office of the Divisional Forest Officer of the Division from which it is sought to transport his timber under these rules.	**18-Registration of property marks (1).** Any person may apply to the Divisional Forest Officer to have property mark to be attached to timber belonging to him, registered in the office of the Divisional Forest Officer of the Division from which it is sought to transport his timber under these rules.
(2) Every property mark shall consist of a device to be approved by the Divisional Forest Officer for his Division, provided that no person shall be allowed to register a mark identical with, or liable to be mistaken for one already registered by another person or used by the State Government. In case of dispute as to whether the marks proposed for registration has or has not too close resemblance with any other previously registered property mark, the decision of the Conservator of Forest shall be final.	(2) Every property mark shall consist of a device to be approved by the Divisional Forest Officer for his Division, provided that no person shall be allowed to register a mark identical with, or liable to be mistaken for one already registered by another person or used by the State Government. In case of dispute as to whether the marks proposed for registration has or has not too close resemblance with any other previously registered property mark, the decision of the Conservator of Forest shall be final.
(3) Registration fee sec. 41(2)(i)-A fee of ten rupees shall be chargeable for each registration. A receipt shall be given in respect of the payment of the fee in the Form given in Schedule "C"	(3) Registration fee section 41 (2)(i)-A fee of Seventy five rupees shall be chargeable for each registration. A receipt shall be given in respect of the payment of the fee in the Form given in Schedule "C"

(4) A certificate of registration showing the device shall be given by the Divisional Forest Officer to each person registering his mark. The registration shall remain valid up to 30th September next following.	(4) A certificate of registration showing the device shall be given by the Divisional Forest Officer to each person registering his mark. The registration shall remain valid up to 30th September next following.

Amendment of rule 23 — 4. In the said rule for the existing rule 23 set out in column-1 below the rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rules	Column-2 Rules as hereby substituted
23- Registration of forms of foreign passes or foreign property marks- The Conservator of Forests shall upon receipt of an application for registration of any foreign form or mark for the purpose of rule 21 enquire into the authenticity of the same and, if he has no objection, shall on payment of Rs. 100 by the applicant register such form or mark in his office. Every such registration shall hold good from the date of registration till the 31st December of the year following the year of registration except in the case of forms and marks of foreign Governments, the registration of which	23- **Registration of forms of foreign passes or foreign property marks**-The Conservator of Forests shall upon receipt of an application for registration of any foreign form or mark for the purpose of rule 21 enquire into the authenticity of the same and, if he has no objection, shall on payment of Rs. 750 by the applicant register such form or mark in his office. Every such registration shall hold good from the date of registration till the 31st December of the year following the year of registration except in the case of forms and marks of foreign Governments, the registration of which

Column-1 Existing rules	Column-2 Rules as hereby substituted
shall hold good till they are modified or repealed by new forms or marks.	shall hold good till they are modified or repealed by new forms or marks.

Amendment of rule-31 5. In the said rules for the existing rule 31 set out in column-1 below the rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1
Existing rules

31. **Levy of fees [sec. 41(2) (e)]** (1) A fee at the following rates for each log or piece of timber may be levied for issue of the pass, on such rivers and at such places as the Conservator of Forests may, from time to time direct to raft or convey timber:

Length of timber or log in meter	Fee per log or per piece
Upto 1 meter	50 paise
Over 1 meter and up to 2 meters	Re. 1.00
Over 2 meters and up to 3 meters	Rs. 1.50
Over 3 meters	Rs. 2.00

(2) A receipt in the form in Schedule "C" to these rules, shall be given in respect of the payment of the fee.

Column-2
Rules as hereby substituted

31- **Levy of fees [sec. 41(2) (e)]** (1) A fee at the following rates for each log or piece of timber may be levied for issue of the pass, on such rivers and at such places as the Conservator of Forests may, from time to time direct to raft or convey timber:

Length of timber or log in meter	Fee per log or per piece
Up to 1 meter	Rs. 4.00
Over 1 meter and up to 2 meters	Rs. 8.00
Over 2 meters and up to 3 meters	Rs 11.00
Over 3 meters	Rs. 15.00

(2) A receipt in the form in Schedule "C" to these rules, shall be given in respect of the payment of the fee.

Amendment of rule-36 6. In the said rules for the existing rule 36 set out in column-1 below the rules as set out in column-2 shall be substituted, namely:-

Column-1 Existing rules	Column-2 Rules as hereby substituted
36. Fees for Registration of	36. Fees for Registration of

marks Section [41(2) (i)]- (1) A registration fee of rupees fifty shall be payable for the registration of each mark.

(2) A receipt in the form in Schedule "C" to these rules shall be granted in respect of payment of the fee.

marks Section [41(2) (i)]- (1) A registration fee rupees hundred shall be payable for the registration of each mark.

(2) A receipt in the form in Schedule "C" to these rules shall be granted in respect of payment of the fee.

By Order,

Surjeet Kaur Sandhu
Principal Secretary

उत्तर प्रदेश शासन

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

संख्या-2536/14-2-2017-377/76 टीसी

लखनऊ दिनांक 31 अक्टूबर, 2017

पुनरीक्षित अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश इमारती लकडी और अन्य वन उपज अभिवहन नियमावली, 1978 के नियम-3 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के खण्ड (ग) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-2530/14-2-97-377/76 टीसी दिनांक 14.08.1997 और संख्या-2427/14-2-2017-377/76 टीसी, दिनांक 25.10.2017 का अधिक्रमण करके राज्यपाल निम्नवत छूट प्रदान करते हैं -

(1) राज्य के 62 जिलों अर्थात :- (1) आजमगढ़ (2) बलिया (3) बस्ती (4) बदायूँ (5) देवरिया (6) गाजीपुर (7) मैनपुरी (8) मऊ (9) मुरादाबाद (10) संतकबीरनगर (11) भदोही (संतरविदास नगर) (12) वाराणसी (13) अलीगढ़ (14) इलाहाबाद (15) अम्बेडकरनगर (16) बागपत (17) बाराबंकी (18) बरेली (19) फतेहपुर (20) गाजियाबाद (21) गोरखपुर (22) हाथरस (23) जौनपुर (24) कानपुर नगर (25) कानपुर देहात (26) कौशाम्बी (27) कुशीनगर (28) मथुरा (29) हापुड़ (30) शामली (31) मुजफ्फरनगर (32) सिद्वार्थनगर (33) कन्नौज (34) बांदा (35) एटा (36) फैजाबाद (37) फर्रूखाबाद (38) फिरोजाबाद (39) गौतमबुद्वनगर (40) गोण्डा (41) हरदोई (42) मेरठ (43) प्रतापगढ़ (44) रायबरेली (45) शाहजहाँपुर (46) सम्भल (47) कासगज (कांशीरामनगर) (48) बुलंदशहर (49) अमरोहा (ज्योतिबाफुलेनगर) (50) महोबा (51) औरैया (52) रामपुर (53) सीतापुर (54) सुल्तानपुर (55) अमेठी (56) हमीरपुर (57) झाँसी (58) जालौन (59) उन्नाव (60) आगरा (61) इटावा एवं (62) बिजनौर में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ व खैर प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ी और छाल :

(2) राज्य के 13 जिलों, अर्थात:- (1) बहराइच (2) श्रावस्ती (3) बलरामपुर (4) चन्दौली (5) चित्रकूट (6) लखीमपुरखीरी (7) ललितपुर (8) लखनऊ (9) महराजगंज (10) मिर्जापुर (11) पीलीभीत (12) सहारनपुर (13) सोनभद्र में वन क्षेत्र के बाहर अवस्थित आम (देशी/तुकमी/कलमी), नीम, साल, महुआ, खैर और सागौन (टीक) प्रजातियों से भिन्न समस्त वृक्ष प्रजातियों की इमारती लकड़ और छाल।

संजय सिंह

सचिव।

संख्या-2536(1) / 14-2-2017-377 / 76 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(3) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम, लखनऊ।

(4) समस्त मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी/प्रभागीय निदेशक, उ0प्र0।

(5) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(6) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(7) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(8) समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(9) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(10)ग्राम्य विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।

(11)सूचना निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ।

(12)गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश [ ] वृक्ष संरक्षण अधिनियम, [illegible]

(The U.P. Protection of Trees Act, [illegible])

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45, 1976]

[illegible]

उत्तर प्रदेश में [1][ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों] में वृक्षों के [illegible] और [illegible] विनियमन की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम—

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ— (1) यह अधिनियम [illegible] अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. अधिनियम कतिपय क्षेत्र में लागू न होना— यह अधिनियम [illegible]

1 शब्द "ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों" [illegible] अधिनियम संख्या [illegible] द्वारा [illegible]

2 [illegible] 27 अक्टूबर, 1976 को [illegible]

3 शब्द "ग्रामीण और [illegible]" [illegible] अधिनियम संख्या [illegible]

(1) ... [illegible] विभिन्न अधिनियम एवं नियमावली ...

(क) आरक्षित और संरक्षित वन में स्थित वृक्षों पर;

(ख) किसी वन या वन भूमि में स्थित उन वृक्षों पर जिनके सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश में ... [illegible] के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन कोई अधिसूचना प्रवृत्त हो,

(ग) छावनी क्षेत्र में स्थित वृक्षों पर लागू न होगा।

3. परिभाषायें — जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) "कृषि क्षेत्र" का तात्पर्य पैमाइश में [illegible] हेक्टेयर या उससे अधिक के किसी भू-खण्ड से है (चाहे उस पर खेती न होती हो), जिस पर पांच या उससे कम वृक्ष उगे हों,

(ख) "भूमिसंरक्षण अधिकारी" का वही तात्पर्य होगा जो उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम, [illegible] में उसके लिए दिया गया है।

(ग) "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य उस अधिकारी से है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम का पालन और शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करे, जो इस अधिनियम द्वारा सक्षम प्राधिकारी पर आरोपित या उसे प्रदत्त है और [illegible] और अन्य वृक्षों के विभिन्न वर्गों के सम्बन्ध में और विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किये जा सकते हैं,

(घ) "प्रभागीय वन अधिकारी" का तात्पर्य किसी वन प्रभाग के प्रभारी और उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है,

(ङ) व्याकरणीय रूप भेदों सहित "वृक्ष के गिराना" का तात्पर्य वृक्ष को काटने, गिराने, [illegible] करने या किसी अन्य रीति से क्षति पहुँचाने से है;

(च) "सरकारी उद्यान" का तात्पर्य फल, फूल या सब्जी उगाने या वृक्षों का रोपण या [illegible] करने के लिये प्रयुक्त केन्द्रीय या राज्य सरकार के भू-भाग से है, और इसमें केन्द्रीय या राज्य सरकार की वन भूमि भी सम्मिलित है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" का तात्पर्य जिला [illegible], पिथौरागढ़, चमोली, टिहरी गढ़वाल, [illegible] और नैनीताल की पहाड़ी परगनों और देहरादून जिले की [illegible] क्षेत्र से है, परन्तु इसमें कोई [illegible] क्षेत्र सम्मिलित नहीं है

(ज) "ग्राम" और "आबादी" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 ई० में उनके लिये दिया गया है,

(झ) "नगरीय भू-गृहादि" का वही अर्थ होगा जो उत्तर प्रदेश नगरीय भू-गृहादि [illegible] अधिनियम, [illegible] में उसके लिए दिया गया है,

(ञ) "[illegible] अधिकारी" का तात्पर्य [illegible]

(ट) "वृक्ष" [illegible]

[illegible]

धरातल से तीस सेन्टीमीटर की ऊँचाई पर पांच सेन्टीमीटर से कम नहीं है [illegible] और क्रमशः पद "इमारती लकड़ी वाले वृक्ष" [illegible] धरातल से एक मीटर से कम नहीं है, और "फल वाले वृक्ष" का तात्पर्य क्रमशः अनुसूची 1 और अनुसूची [illegible] में [illegible] जाति के वृक्ष से है;

परन्तु राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूचियों में परिवर्तन या परिष्कार [illegible]

(बारह) "नगर क्षेत्र" का तात्पर्य पर्वतीय क्षेत्र से भिन्न किसी ऐसे क्षेत्र [illegible] नगरमहापालिका नगरपालिका बोर्ड, नोटीफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया [illegible] छावनी बोर्ड या विकास प्राधिकरण की सीमा में सम्मिलित हो;

(तेरह) इस अधिनियम में प्रयुक्त और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के [illegible] संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित, किन्तु इस अधिनियम [illegible] अपरिभाषित, "शब्द और पद" के वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में [illegible] उनके लिए दिये गये।

4. **वृक्ष के निपातन और अपनयन पर निर्बन्धन**—इस अधिनियम या इसके अधीन [illegible] नियमों में जैसी व्यवस्था है, उसके सिवाय, कोई व्यक्ति—

(क) किसी भूमि पर, चाहे वह किसी खाते में सम्मिलित हो या न हो, कोई किसी वृक्ष नहीं गिरायेगा;

(ख) उस वृक्ष से, जो बिल्कुल सूख गया है और किसी ऐसी भूमि पर किसी [illegible] के बिना ही गिर गया है भिन्न वृक्ष को नहीं काटेगा, नहीं हटायेगा और [illegible] उसका निस्तारण नहीं करेगा।

[1][5. **वृक्ष के निपातन या अपनयन के लिये अनुज्ञा की प्रक्रिया**— (1) [illegible] किसी खड़े वृक्ष को गिराने या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, हटाने या अन्य प्रकार से [illegible] निस्तारण करने के लिए हकदार है, ऐसे अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, जैसा राज्य [illegible] अधिसूचित किया जाये, ऐसे खड़े वृक्ष को गिराने या ऐसे किसी गिरे हुए वृक्ष को काटने, [illegible] अन्य प्रकार से उसका निस्तारण करने की अनुमति के लिए आवेदन-पत्र देगा और वह अधिकारी [illegible] जिसे ऐसा आवेदन-पत्र दिया जाये, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह उचित समझे, [illegible] भीतर आवेदन पत्र को अपनी रिपोर्ट के साथ सक्षम प्राधिकारी को अग्रसारित करेगा,

(2) सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त होने के दिनांक से [illegible] भीतर आवेदित अनुज्ञा देगा या उसे देने से इंकार करेगा।

परन्तु यदि सक्षम प्राधिकारी उपधारा (1) के अधीन दी गयी रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं है तो [illegible] ऐसी अग्रेतर जांच कर सकता है जैसी वह उचित समझे:

परन्तु यह और कि आवेदक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ऐसी अनुज्ञा देने से इंकार नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह भी कि यदि उस वृक्ष से किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को खतरा है जो ऐसी [illegible] इंकार नहीं किया जायेगा;

---

1. उ०प्र० अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित जो अधिसूचना संख्या [illegible] दिनांक 30 अप्रैल, 2001 उ०प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) [illegible] 2001 में प्रकाशित हुआ।

परन्तु यह भी कि ऐसे क्षेत्र के सिवाय जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया जाय, ऐसी अनुज्ञा किसी वृक्ष के गिराने के लिये इस दृष्टि से ईंधन, चारा, कृषि उपकरण या किसी अन्य घरेलू कार्य के प्रयोजनार्थ वास्तविक उपयोग के लिए उसकी लकड़ी या पत्ती को प्राप्त करना है, अपेक्षित नहीं होगी:

परन्तु यह भी कि ऐसी अनुज्ञा के बिना ऐसी तात्कालिक कार्यवाही की जा सकती है जो किसी अवरोध या अपदूषण को हटाने के लिए या किसी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो।

(3) जहाँ सक्षम प्राधिकारी, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा के लिये विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय करने में असफल रहता है वहाँ यह समझा जायेगा कि आवेदित अनुज्ञा दे दी गयी है।

(4) इस अधिनियम के अधीन दी गयी प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्त के अधीन होगी जैसा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किया जाय, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र में पुनरुत्पादन और वृक्षों के पुनः आरोपण को सुनिश्चित करने के लिये या अन्यथा प्रतिभूत लेना भी है।

[1][6. सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अभ्यावेदन— धारा 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर पुनरीक्षण प्राधिकारी को अभ्यावेदन कर सकता है और ऐसे अभ्यावेदन पर पुनरीक्षण प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. वृक्षारोपण का दायित्व—प्रत्येक व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी वृक्ष को गिराने, काटने, हटाने या निस्तारित करने की अनुज्ञा दी गई है, उस क्षेत्र में जहाँ ऐसी अनुज्ञा के अधीन उसने ऐसे वृक्ष को गिराया है, काटा है, हटाया है, या निस्तारित किया है, प्रत्येक वृक्ष के स्थान पर दो वृक्षों के आरोपण और परिपोषण के लिए बाध्य होगा।

परन्तु सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, कम संख्या में वृक्षारोपण करने या किसी अन्य क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की अनुज्ञा दे सकता है, या किसी व्यक्ति को वृक्ष के आरोपण या परिपोषण के दायित्व से मुक्त कर सकता है।

8. रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण—(1) जहाँ परगना अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी राजस्व अधिकारी या जिला उद्यान अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी उद्यान अधिकारी, या भूमि संरक्षण अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के किसी भूमि संरक्षण अधिकारी या सहायक अरण्यपाल से अनिम्न श्रेणी के किसी वन अधिकारी की आख्या के आधार पर या अन्य प्रकार से प्रभागीय वन अधिकारी की यह राय हो कि किसी रिक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए वहाँ वह ऐसे क्षेत्र के स्वामी, अध्यासी या खातेदार को (जिसे आगे अभ्यर्थी कहा गया है) यह कारण बताने का नोटिस जारी कर सकता है कि क्यों न ऐसे क्षेत्र में जो ऐसी नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, वृक्षारोपण किया जाये।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस ऐसे प्रपत्र में दी जायेगी और उसमें ऐसे ब्यौरे [illegible] रहेंगे और वह ऐसी रीति से तामील की जायेगी जो विहित की जाये।

(3) प्रभागीय वन अधिकारी अभ्यर्थी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् उसे उतनी संख्या में और उस वर्ग के वृक्षों को लगाने का निर्देश दे सकता है, [illegible] विनिर्दिष्ट हो।

1 [illegible] अधिनियम संख्या 12 सन् 2001 द्वारा धारा 5 व 6 प्रतिस्थापित की अधिसूचना [illegible] 2001, [illegible] 2001 [illegible] से प्रवर्तित हुआ।

(4) उपधारा (3) के अधीन दिये गये किसी निदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा निदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर सम्बद्ध अरण्यपाल को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

9. धारा 7 और 8 के अधीन दिये गये निदेशों का कार्यान्वयन—(1) प्रत्येक व्यक्ति जिसका धारा 7 के अधीन वृक्षारोपण का दायित्व है या जिसे धारा 8 के अधीन कोई निदेश दिया गया है, यथास्थिति अनुज्ञा के दिनांक से या निदेश की प्राप्ति के दिनांक से नब्बे दिन के भीतर [illegible] कार्य शुरू कर देगा, और आगामी वर्षा ऋतु में या ऐसी विस्तारित समय के भीतर, जैसा [illegible] प्रभागीय वन अधिकारी अनुमति दे, ऐसे निदेशों के अनुसार वृक्षारोपण करेगा।

(2) ऐसे व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम करने की स्थिति में प्रभागीय वन अधिकारी वृक्षारोपण करा सकता है और ऐसे व्यक्ति से वृक्षारोपण की लागत विहित रीति से वसूल कर सकता है।

10. धारा 4 का उल्लंघन करते हुए वृक्ष के निपातन या अपवहन के लिए शास्ति—जो कोई भी धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए किसी खड़े हुए वृक्ष को गिराता है या गिराने देता है, या किसी गिरे हुए वृक्ष को काटता है, हटाता है या अन्यथा निस्तारित करता है या इस अधिनियम के अधीन दी गई किसी अनुज्ञा की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, उसे कारावास का, जो [illegible] तक हो सकता है, या जुर्माने का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों का दण्ड दिया जायेगा।

11. कम्पनियों द्वारा अपराध—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के [illegible] संचालन का प्रभारी और उसके लिए कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिए अपराधी माना जायेगा और तद्नुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने इस अपराध के किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जबकि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी [illegible] प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी की सहमति [illegible] मौनानुकूलता से किया गया है या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, [illegible] निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायेगा और [illegible] कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई [illegible] व्यक्ति का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) "निदेशक" का, किसी फर्म के सम्बन्ध में, तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

12. इमारती लकड़ी का समपहरण—(1) जहां कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के [illegible] किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाय, वहां न्यायालय कोई इमारती लकड़ी या [illegible] सम्बन्ध में अपराध किया गया हो और ऐसे वृक्ष को गिराने में प्रयुक्त उपकरणों को [illegible] समपहृत किये जाने का आदेश दे सकता है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से [illegible] निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

13. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति— (1) वनक्षेत्राधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या राजस्व इंस्पेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है,

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में राजस्व इंस्पेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये, और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कभी आवश्यक हो उपस्थित होने के लिए, बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

14. अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसा वृक्ष या लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी-वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, [illegible] से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या राजस्व इंस्पेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा अभिगृहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की सूचना उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी [illegible] वन या सार्वजनिक भूगृहादि में स्थित वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, ऐसे अपराध के लिए प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, सन्दिग्ध व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अग्रेतर कार्यवाही नहीं की जायेगी और धारा 14 में [illegible] हुए भी, ऐसा अधिकारी, [illegible]

का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में [illegible] करने पर इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

16. अधिनियम के उल्लंघन की [illegible] कतिपय अधिकारियों [illegible] [illegible] अधिकारी, लेखपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक [illegible] भूमि संरक्षण निरीक्षण या उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की [illegible] उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे; और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास [illegible] कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की [illegible] रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

17. शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होना—[illegible] अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा [illegible] लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे—इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या [illegible] कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा [illegible] के अन्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन—कोई धनराशि, जिसमें [illegible] अपराध के प्रशमन के लिए कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन [illegible] व्यक्ति द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि [illegible] वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की [illegible] वसूल की जायेगी।

20. कार्यवाहियों पर रोक—इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने [illegible] आशयित किसी कार्य के लिए राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई [illegible] कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21. छूट—ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो आरोपित की जायें, राज्य सरकार [illegible] यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी [illegible] को या वृक्षों को किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

22. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के [illegible] होंगे—इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने की प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए [illegible] प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

23. वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि [illegible] गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

24. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) इस धारा के अधीन समपहृत किसी इमारती लकड़ी को सक्षम प्राधिकारी ऐसी रीति से निस्तारित करेगा, जो विहित की जाये।

13. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति—(1) वनक्षेत्राधिकारी से अनिम्न श्रेणी का कोई वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर से अनिम्न श्रेणी का कोई पुलिस अधिकारी, किसी व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण हो कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से सम्बन्धित है, बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकता है;

परन्तु पर्वतीय क्षेत्र के सम्बन्ध में इस धारा में सब-इंसपेक्टर के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार किया जायेगा मानो वह नायब तहसीलदार के प्रति निर्देश है।

(2) इस धारा के अधीन गिरफ्तार करने वाला प्रत्येक अधिकारी, बिना आवश्यक विलम्ब किये और बन्ध-पत्र पर छोड़े जाने के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, गिरफ्तार व्यक्ति को उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट या निकटतम थाने के प्रभारी अधिकारी के समक्ष ले जायेगा या भिजवायेगा।

(3) इस धारा के अधीन गिरफ्तार किसी व्यक्ति को उसके द्वारा, मामले में अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष जब कभी आवश्यक है उपस्थित होने के लिए, बन्ध पत्र निष्पादित किये जाने पर, छोड़ दिया जायेगा।

14. अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) जब यह विश्वास करने का कारण हो कि कोई वृक्ष इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए गिराया, काटा या हटाया गया है तो ऐसे वृक्ष की लकड़ी के साथ-साथ ऐसे उल्लंघन में प्रयुक्त नाव, गाड़ी वाहक या पशु भी, यदि कोई हो, वनक्षेत्राधिकारी के पद से अनिम्न पद के किसी वन अधिकारी या सब इंसपेक्टर के पद से अनिम्न श्रेणी के किसी पुलिस अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त शक्ति सम्पन्न किसी व्यक्ति द्वारा अभिग्रहीत किया जा सकता है।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अभिग्रहण की आख्या उस अपराध पर, जिसके कारण अभिग्रहण किया गया है, विचार करने के लिये अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को दी जायेगी, और ऐसी इमारती लकड़ी, नाव, गाड़ी वाहक या पशु का निस्तारण, ऐसे मजिस्ट्रेट के आदेश के अधीन रहते हुए, विहित रीति से किया जायेगा।

(3) कोई वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, जो तंग करने के लिए या अनावश्यक रूप से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है या किसी सम्पत्ति का अभिग्रहण इस बहाने से करता है कि ऐसी सम्पत्ति इस अधिनियम के अधीन समपहरण योग्य है, वह कारावास से ऐसी अवधि के लिए जो छः मास तक हो सकती है या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. अपराधों का प्रशमन कराने की शक्ति—(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को, किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके विरुद्ध यह विश्वास करने का कारण है कि उसने किसी वन, बाग या सार्वजनिक भूगृहादि में [illegible] वृक्ष से भिन्न किसी वृक्ष के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन अपराध किया है, ऐसी धनराशि, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो, उस अपराध के लिये प्रशमन के रूप में स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है जिसके बारे में यह विश्वास है कि ऐसे व्यक्ति ने उसे किया है।

(2) किसी ऐसे अधिकारी को ऐसी धनराशि का भुगतान करने पर, अभिरक्षा में [illegible] व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, छोड़ दिया जायेगा और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई [illegible] कार्यवाही नहीं की जायेगी [illegible]

का, जो पांच हजार रुपये से अधिक न हो जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे, [illegible] करने पर इस अधिनियम के अधीन अधिहरणीय सम्पत्ति को छोड़ सकता है।

16. अधिनियम के उल्लंघन की सूचना कतिपय अधिकारियों द्वारा दी जायेगी — [illegible] वन अधिकारी, कोषपाल, पंचायत सचिव, पुलिस-कांस्टेबिल, सहायक [illegible] निरीक्षक [illegible] भूमि संरक्षण निरीक्षक या उससे वरिष्ठ किसी अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह—

(क) धारा 4 के किसी उल्लंघन की या ऐसा उल्लंघन किये जाने की तैयारी की सूचना, जो उसकी जानकारी में आये, तुरन्त सक्षम प्राधिकारी को दे; और

(ख) ऐसे उल्लंघन को, जिसे वह जानता हो या जिसके बारे में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह किया जाने वाला है या जिसके लिये किये जाने की तैयारी है, रोकने के लिये समस्त युक्तियुक्त उपाय करे, जो उसकी शक्ति में है।

17. शास्ति देने या अधिहरण से अन्य दण्ड दिये जाने में हस्तक्षेप नहीं होगा — इस अधिनियम के अधीन शास्ति या किसी सम्पत्ति का अधिहरण, कोई दण्ड देने को नहीं रोकेगा जिसके लिये उससे प्रभावित व्यक्ति किसी अन्य विधि के अधीन दण्डनीय है।

18. अधिकारी लोक सेवक होंगे — इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने वाले अधिकारी भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक-सेवक समझे जायेंगे।

19. धनराशि के भुगतान के लिए आदेश का निष्पादन — कोई धनराशि, जिसमें किसी अपराध के प्रशमन के लिए कोई राशि भी सम्मिलित है, जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी [illegible] द्वारा भुगतान किये जाने के लिये निर्देश दिया गया हो, उस समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उससे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जायेगी।

20. कार्यवाहियों पर रोक — इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से किये गये या किया जाना आशयित किसी कार्य के लिए, राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन शक्ति का प्रयोग या कर्तव्य का पालन या कृत्य का निर्वहन करने के लिये सशक्त किसी व्यक्ति के विरुद्ध, कोई वाद या कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

21. छूट — ऐसी शर्तों के अधीन, यदि कोई हो, जो अधिरोपित की जायें, रहते हुए राज्य सरकार यदि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाय, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा किसी [illegible] को या वृक्षों की किसी जाति को इस अधिनियम के समस्त या किसी उपबन्ध से छूट दे सकती है।

22. इस अधिनियम के उपबन्ध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे — इस अधिनियम के उपबन्ध, वृक्ष गिराने को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए उस समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबन्धों के अतिरिक्त होंगे न कि उनका अल्पीकरण करेंगे।

23. वृक्षों के परिरक्षण के लिये राज्य सरकार की शक्ति — (1) राज्य सरकार, जन साधारण के हित में, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि वृक्षों का कोई वर्ग ऐसी अवधि तक नहीं गिराया जायेगा जैसी उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है।

(2) ऐसे वृक्षों का प्रबन्ध विहित रीति से विनियमित किया जायेगा।

24. नियम बनाने की शक्ति — राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

[1][24-क. उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1976 के नाम के परिवर्तन पर संक्रमणकालीन उपबन्ध—उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1998 के प्रारम्भ के दिनांक को और किसी विधि या परिनियत संलेख में उत्तर प्रदेश ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति किसी निर्देश को उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रति निर्देश समझा जायेगा।

25. निरसन तथा अपवाद—(1) उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अध्यादेश, 197[illegible] एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी मानों यह अधिनियम समस्त सारवान समय पर प्रवृत्त था।

अनुसूची-एक

(इमारती लकड़ी वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

क्रम सं०	सामान्य नाम			वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	2			3
1.	अखरोट	...	...	जुगलेंसरिजिया
2.	अर्जुन	...	...	टर्मिनेलिया अरजुन
3.	आम	...	...	मैंगीफेरा इण्डिका
4.	इमली	...	...	टमारिन्डस इण्डिका
5.	करधई	...	...	ऐनोगाइसिस पैन्डुला
6.	कंजू	...	...	होलप-टीलिया इन्टेग्रिफोलिया
7.	कुसुम	...	...	स्लाइचेरा त्रिजुगा
8.	कैल	...	...	पाइनस एक्सेलसा
9.	खरशू	...	...	क्यूरकस सैमीकारपीफोलिया
10.	खैर	...	...	एकेशिया कटेचू
11.	गुरियल	...	...	टोनिया नूडीफ्लोरा
12.	धाऊ/बाकली	...	...	एनोगाइसस लैटीफोलिया
13.	चन्दन	...	...	सन्टाइलम एल्बम
14.	चमखरीक	...	...	कारपिनस विमीनिया
15.	[illegible]	...	...	[illegible]

[1] अधिसूचना संख्या [illegible] दिनांक [illegible] 1998 [illegible], दिनांक 29 जुलाई, 1998 द्वारा [illegible]

1	2	3
16.	चीड़	पाइनस राक्सबर्घाई
17.	जामुन	साइजीजियम क्यूमिनी
18.	ढाक/पलास	ब्यूटिया मोनोस्पर्मा (सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और झांसी जिलों के लिये)
19.	तुनी	सिड्रेला सेरेटा
20.	तून	सिड्रेला तूना
21.	तेन्दू	डायस्पायरस टोमेन्टोसा
22.	देवदार	सीड्रस डिओडारा
23.	नीम	अजेडिरेक्टा इण्डिका
24.	पपरी/[illegible]	[illegible]
25.	[illegible]	[illegible]
26.	बकाइन	मेलिया एजेडेरेक
27.	बहेड़ा	टर्मिनेलिया, बेलेरिका
28.	बांज	क्यूरकस इनकाना
29.	महुआ	मधुका लेटिफोलिया
30.	मोरिन्डा	ऐबीज पिन्डरो
31.	मौरू	क्यूरकस डाइलेटेटा
32.	[illegible]	पीसिया स्मिथियाना
33.	रियांज	अकेशिया ल्यूकोफ्लोया
34.	शीशम	डालबर्जिया सिस्सू
35.	सलई	बोसवेलिया सेरेटा
36.	सागौन	टेक्टोना ग्रैण्डिस
37.	साल	शोरिया रोबस्टा
38.	सिरिस	एल्बिजिया लेबेक
39.	साईं/आसना	टर्मिनेलिया टोमेन्टोसा
40.	सेमल	सालमेलिया मेलाबारिका
41.	हर्र	टर्मिनेलिया चेबुला
42.	हल्दू	ऐडीना कार्डिफोलिया

अनुसूची-दो

(फल वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

क्रम० सं०	सामान्य नाम	वनस्पति शास्त्रानुसार नाम
1	अनार	पुनिका ग्रेनेटम
2	अमरूद	पीसीडियम ग्वावा
3	आड़ू	प्रूनस पर्सिका
4	आलू बुखारा	प्रूनस कम्यूनिस
5	आम	मैंगीफेरा इण्डिका
6	आंवला	एम्बलिका आफीसेनेलिस
7	कटहल	आर्टोकारपस इन्टिग्रीफोलिया
8.	खुबानी	प्रूनस एर्मीनाइका
9.	नाशपाती	प्यूरस कम्यूनिस
10	नारंगी, नीबू माल्टा, मुसम्मी, संतरा	सभी तरह के सिट्रस
11.	लीची	लीचीलियम चिनी
12	शरीफा	एनोना स्क्वेमोसा
13	सेब	प्यूरस मेलस

अनुसूची-तीन

(ईंधन वाले वृक्ष)

[धारा 3 (ग्यारह) देखिये]

अनुसूची एक और दो में विनिर्दिष्ट वृक्षों से भिन्न वृक्ष।

विज्ञप्ति

[1] [उत्तर प्रदेश ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 (उ०प्र० अधिनियम सं० 45 सन् 1976) की धारा 3 के खण्ड III और X के अधीन और विज्ञप्ति संख्या 72/XIV-3 [illegible] दिनांक 20 जनवरी 1982 में अन्तर्निहित शक्ति के प्रयोग में राज्यपाल निम्नलिखित सक्षम प्राधिकारी और पुनरीक्षण प्राधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन, निम्नलिखित क्षेत्रों और [illegible] सक्षम प्राधिकारी और पुनरीक्षण अधिकारी पर अधिरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों को [illegible] और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये नियुक्त करते हैं —

1 [illegible] विज्ञप्ति संख्या 4448/XIV [illegible] उत्तर प्रदेश असाधारण गजट [illegible]

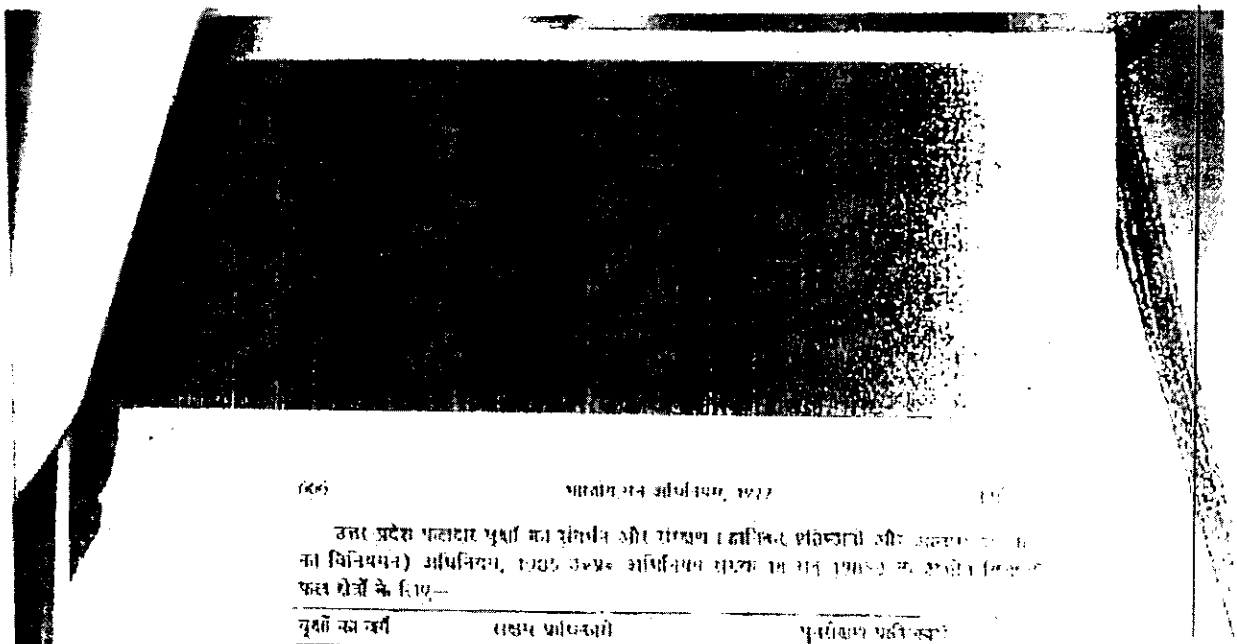

उत्तर प्रदेश फलदार वृक्षों का संरक्षण और रक्षण (कतिपय प्रतिबन्धों और [illegible] का विनियमन) अधिनियम, 19[illegible] अधिनियम संख्या [illegible] सन् 19[illegible] के अधीन [illegible] फल क्षेत्रों के लिए—

वृक्षों का वर्ग	सक्षम प्राधिकारी	पुनर्रोपण प्रतिभूति
1	2	3
फल	1 मण्डलीय निदेशक/मण्डलीय वन अधिकारी 2 जिला उद्यान अधिकारी	सम्बन्धित वन संरक्षक, [illegible] सामाजिक वानिकी